परिशिष्ठ (देखिय नियम–6

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण–पत्र)

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर में राज्य योजना के अन्तर्गत कमेडीदेवी–भन्तोला– स्याकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 23/4/12 को उपरोक्त प्रयोजन हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री [illegible] दरोगा, राजस्व विभाग की ओर से श्री. सुरेश कुमार ..... पटवारी तथा प्रस्तावक विभाग की ओर से **श्री टी0एम0लोहनी** सहायक अभियंता एवं **श्री मनोज कुमार भटट्** अपर सहायक अभियंता द्वारा भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु **सिविल भूमि–1.050 हैक्टेयर वन पंचायत भूमि 0.00 हैक्टेयर** (कुल–1.050 हैक्टेयर) वनभूमि प्रभावित होती है। प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नही है तथा प्रस्तावित भूमि की मांग न्यूनतम है। प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है।

आवेदित वन भूमि में जिन वृक्षों का पातन किया जाना है उनकी सूची संलग्न है।

(अन्य आवश्यक कोई विवरण जो दिया जाना है)

अमीन

कनिष्ठ अभियन्ता

राजस्व उपनिरीक्षक
राजस्व विभाग प्रतिनिधि
जिला-बागेश्वर

वन क्षेत्राधिकारी
वन विभाग प्रतिनिधि

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.
कपकोट

[illegible]
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.
कपकोट

उपजिलाधिकारी
कपकोट (बागेश्वर)

जिलाधिकारी
बागेश्वर

प्रति हस्ताक्षरित
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर